अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

विविध आवेदन संख्या: 263 / 2013

डा0 अमीनुल्लाह रहमानी''अम्बर'' –– अपीलार्थी

बनाम

राज्य एवं अन्य –– रेस्पोन्डेन्ट्स

–::आदेश::–

प्रस्तुत वाद डा0 अमीनुल्लाह ''अम्बर'' आवेदक पिता–स्व0 इशहाक रहमानी, वर्तमान पता– साकिन सहरसा बस्ती, थाना– सदर सहरसा द्वारा राज्य एवं अन्य के विरूद्ध अपराधिक कांड दर्ज करने की अनुमति प्रदान करने हेतु एवं अनुतोषों के लिए दायर किया गया है जो अन्दर मौजा झाड़ा खाता नया 432 खेसरा नया 2216 रकबा 0.35 डीसमल, नया खेसरा 2609 रकबा 0.67 डीसमल एवं खेसरा नया 2610 रकबा 0.15 डीसमल कुल रकबा 1.17 डीसमल से संबंधित है एवं हाल सर्वे फाईनल की कार्रवाई 30.अप्रैल 1986 ई0 को अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है।

वाद पुकारा गया आवेदक के अधिवक्ता को नामांकन के विन्दु पर सुना। अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि उक्त वाद से संबंधित उभय पक्षों के बीच श्रीमान् मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में नालिसी वाद संख्या 1281 / 11 अन्दर धारा 467,468,469, 471, 120 बी. एवं 466 भा0 द0 वि0 के साथ साथ तथ्यात्मक रूप से धारा 195 व 109 भा0 द0 वि0 के तहत चल रहा है जो अद्यतन लंबित है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है क्योंकि हाल

सर्व फाईनल प्रकाशन के पश्चात कोई भी प्रविष्टि किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है एवं चूँकि आपराधिक मामला पूर्व से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में नालिसी वाद संख्या 1281/2011 उभय पक्षों के बीच चल रहा है एवं अद्यतन लंबित है इसलिए इस न्यायालय से पुनः आपराधिक मामला दर्ज कराने हेतु अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः आवेदक के प्रस्तुत वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

19/2013

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

19/2013

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा